

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

हस्ताक्षर _____ विपक्षी _____ प्रताप सिंह
 मुकदमा _____ वाद _____ पत्रावली संख्या 260116 सन् _____

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>29/8/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 26/9/25 को पेश हो। B/0</p>	
	<p>26/9/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 14/11/25 को पेश हो। B/0</p>	
	<p>14/11/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. _____ के लिये मौका चाहते है। अतः _____ अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 19/12/25 को पेश हो। (SDO) मावली</p>	<p><u>अंतिम अवसर</u></p>
	<p>19/12/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 16/1/26 को पेश हो। B/0</p>	
	<p>16/1/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 13/3/26 को पेश हो। B/0</p>	

13/3/26

बहुलाय वादी/प्रतिवादी उप-2182 वादी
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 25/3/26 को
अपसर दिया जाकर फत्रावली दि 27/3/26
को पेश हो।

hm
(S.D.O) मावली

27/3/26

बहुलाय वादी/प्रतिवादी उप-2182 वादी
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 25/3/26
अपसर दिया जाकर फत्रावली दि 27/3/26
को पेश हो।

hm
(S.D.O) मावली

24/4/26

पत्रावली पेशा हुई अधिवक्ता उच्चपक्ष. उप-1
अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी पेश करके
अपसर खाटा। पत्रावली वास्तु साक्ष्य वादी
दिनांक 22/5/26 को पेश हो।

hm

22/05/26

पत्रावली पेशा हुई। अधिवक्ता वादी मध्य
स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मध्य
स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई।
समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी
एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता वादी मध्य स्वयं वादी अनुपस्थित
रहने पर वादी का वाद अदम हमरी अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल
शुमार लेकर नम्बर से कम हो।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कालक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली